

1

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

2018/00226

महोदयजी, प्राची का नाम गांव संगरिया की जमाबन्दी खत 20+2-35 के  
 खाता संख्या 148, 230 में गणेश अंकित है, जबकि आधार कार्ड वंचाग्र  
 पुमाण पत्र में प्राची का नाम दीपचंद अंकित है। अतः मुताबिक  
 आधार कार्ड वंचाग्र पुमाण पत्र के आधार पर प्राची का नाम गणेश  
 की वजाह दीपचन्द वरजा उचित है।

*(Signature)*  
 पटवारी, च. भू. संगरिया  
 तह. फुलियाकली (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार *कालिमा कला*

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जल्प ITR संशोधन स्वीकार योग्य है।

*(Signature)*  
 तहसीलदार

फुलियाकली, जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम  
 "न्याय आयोग द्वारा-2018"

प्र सं 240/18

आदेश कैम्प-संगरिया दि 24/05/18

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकली के गांव संगरिया की जमाबन्दी  
 खत 20+2-35 के खाता संख्या 148, 230 में दर्ज गणेशकी  
 वजाह दीपचन्द वरजा के नाम का आदेश दिया जाता है।  
 पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकली को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
 सहायक फलेक्टर  
 फुलिया कली, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

फुलियाकली (भीलवाड़ा) राज.